मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
:: मंत्रालय ::

// आदेश //

भोपाल, दिनांकः 12 /07/2021

क्रमांकःएफ.17-10/2021/38-1 :: डॉ. संजीव दुबे, समन्वयक प्रोफेसर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर के हिन्दी साहित्य की आंसर शीट के मूल्यांकन कार्य के संबंध में समाचार पत्रों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग के पत्र दिनांक 31.07.2018 द्वारा लोकपाल, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल से जांच कराई गई।

2/ जांचकर्ता / लोकपाल द्वारा दिनांक 27.08.2018 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें निष्कर्ष दिया गया कि डॉ. दुबे द्वारा समन्वयक के रूप में अतिथि विद्वान मूल्यांकनकर्ता श्री धनीराम अहिरवार को मूल्यांकन हेतु दी गई उत्तर पुस्तिकाओं में नियंत्रण और सतर्कता का अभाव साबित पाया जाता है इसलिए मूल्यांकन कार्य में हुई गड़बड़ी के लिए आंशिक रूप से दोषी पाए गए।

3/ विभाग के पत्र दिनांक 22.09.2018 द्वारा श्री धनीराम अहिरवार, अतिथि विद्वान को पद से पृथक करने के संबंध में प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, शाहगढ़ जिला सागर को निर्देश दिए गए तथा डॉ. संजीव दुबे को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय की उत्तर पुस्तिकाओं मूल्यांकन में समन्वयक /मूल्यांकनकर्ता एवं परीक्षा कार्य से सदैव के लिए वंचित (debar) करते हुए उनके विरूद्ध विभाग के ज्ञाप दिनांक 22.09.18 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 16 अंतर्गत आगामी 02 वार्षिक वेतनवृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने की शास्ति का उल्लेख करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

4/ डॉ. संजीव दुबे द्वारा दिनांक 02.08.2019 को उत्तर प्रस्तुत किया। डॉ. दुबे द्वारा प्रस्तुत उत्तर के परीक्षण से पाया गया कि डॉ. संजीव दुबे, समन्वयक प्रोफेसर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर द्वारा अतिथि विद्वान को मूल्यांन हेतु उत्तर पुस्तिकायें दी गयी थी तथा समन्वयक का दायित्व था कि शिक्षकों से मूल्यांकन कराया जाए। डॉ. दुबे में योग्य शिक्षक चयन करने के साथ-साथ नियंत्रण और सतर्कता का अभाव पाया जाने से डॉ. दुबे के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (एक) के अंतर्गत "परिनिंदा" की शास्ति अधिरोपित करने का प्रशासकीय अनंतिम निर्णय लेकर लोक सेवा आयोग की सहमति चाही गयी।

5/ लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 03 मार्च, 2021 द्वारा "परिनिंदा" की शास्ति के स्थान पर अपचारी की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का मत दिया गया।

2/-

6/ प्रकरण के समग्र विचारोपरांत लोक सेवा आयोग के मत से सहमत होते हुए विभाग द्वारा डॉ. संजीव दुबे की एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने का प्रशासकीय निर्णय लिया गया है।

7/ अतः राज्य शासन एतद् द्वारा डॉ. संजीव दुबे, समन्वयक, प्रोफेसर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर द्वारा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल के विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 10 (चार) के अंतर्गत एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने की शास्ति अधिरोपित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

9-7-21
(वीरन सिंह भलावी)
अवर सचिव
म.प्र.शासन,उच्च शिक्षा विभाग

पृ. क्रमांकः एफ.17-10/2021/38-1 भोपाल, दिनांकः 12/07/2021

प्रतिलिपिः-

1/ स्टॉफ आफीसर, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
2/ विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर म.प्र.
4/ आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल म.प्र.
5/ जिला कोषालय अधिकारी, जिला सागर म.प्र.
6/ क्षेत्रिय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, सागर संभाग सागर म.प्र.की ओर इस निर्देश के साथ की संबंधित को निलंबन आदेश की प्रति तामिल करवाकर पावती की प्रति इस कार्यालय को भेजें।
7/ प्राचार्य, शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर म.प्र.
8/ डॉ. संजीव दुबे, समन्वयक प्रोफेसर कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, सागर म.प्र.
9/ आर्डर बुक।

9-7-21
अवर सचिव
म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग